<u>निर्वाचन/तत्काल</u>
<u>कैम्प बैग द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं.576/3/वीवीपीएटी/2016/एसडीआर/खण्ड-I   दिनांकः 01 अप्रैल, 2016

सेवा में,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
1. असम
2. केरल
3. तमिलनाडु
4. पश्चिम बंगाल
5. पुडुचेरी

विषयः असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन- वोटर वेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल प्रणाली(वीवीपीएटी) सहित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग - तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे, आयोग के दिनांक 21 मार्च, 2016 के समसंख्यक पत्र जिसके साथ आयोग के निदेश संख्या 576/3/वीवीपीएटी/2016/एसडीआर/खण्ड-I, दिनांक 21 मार्च, 2016 को अग्रेषित किया गया था, को संदर्भित करने का निदेश हुआ है। इसमें असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के उन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (उसके साथ संलग्न अनुबंध के अनुसार) को विनिर्दिष्ट किया गया था जहां मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली सभी वोटिंग मशीनों के साथ ड्रॉप बॉक्स सहित एक प्रिंटर संलग्न किया जाएगा। आयोग की उक्त अधिसूचना के अनुबंध में, “बर्धमान” शब्द “बर्धमान दक्षिण” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

उक्त आशय का शुद्धि-पत्र इसके साथ अग्रेषित किया जाता है। राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में इसके प्रकाशन के लिए कार्रवाई की जाए और इसकी एक प्रति आयोग को भी भेजी जाए।

भवदीय,

(अभिषेक तिवारी)
अनुभाग अधिकारी

राज्य सरकार के राजपत्र
में तत्काल प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं.576/3/वीवीपीएटी/2016/एसडीआर/खण्ड-। **दिनांकः 01 अप्रैल, 2016**

<u>शुद्धिपत्र</u>

आयोग की दिनांक 21 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं.576/3/वीवीपीएटी/2016/एसडीआर-खण्ड-। के अनुबंध में "बर्धमान" शब्द के स्थान पर "बर्धमान दक्षिण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

आदेश से,

(अनुज जयपुरियार)
सचिव